प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेल के वित्त लेखाओं की जांच में दृष्टिगत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां अन्तर्विष्ट हैं। यह विभिन्न मापदण्डों के आधार पर रेलवे की वित्तीय स्थिति पर केन्द्रित है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय 2** में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय अवलोकन अन्तर्विष्ट है।

इस प्रतिवदेन के **अध्याय 3** में वांछित परिणाम प्रदान करने में एकीकृत पे रोल लेखा प्रणाली (आईपीएएस) की दक्षता और प्रभावशीलता के आकलन पर निष्कर्ष अन्तर्विष्ट हैं।